

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

Hi.Si.Bo. (03) General/274/16/ - 1813 - 1888

Dated: 5-2-2019

Notification

In view of notification No.Hi.Shi.Bo.(3)Sa/276/17/8171-8220 dated 1-12-2017 issued by the Board in compliance to the proceedings of Himachal Pradesh State level equivalence committee meeting held on dated 23-11-2017 regarding equivalence granted to the subjects of class 10th & class 10+2 of Grameen Mukt Vidhyalayi Shiksha Sansthan, M-151, Keshav Chowk, Panchshil Gardan, Naveen Shahdra, Delhi-110032, the following facts have come to the notice of the Board in respect of said equivalence:

- Whereas, Board considers the matters of equivalence as per rules under chapter 17 of Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations,1994 amended from time to time (hereinafter referred as Regulations of the Board).
- Whereas, the Board had granted equivalence for the subjects of the Grameen Mukt Vidhyalayi Shiksha Sansthan,M-151, Keshav Chowk, Panchshil Gardan, Naveen Shahdra, Delhi-110032 on the basis of the decision taken by State Level Equivalence committee meeting of HP held on 23-11-2017, wherein genuineness of this institute has not been verified before approval.
- Whereas, Board had directed the Grameen Mukt Vidhyalayi Shiksha Sansthan, Delhi to provide the information / documents required for the equivalence under Rule 17.5, 17.6 & 17.7 of the Regulations of the Board vide letter dated 07-02-2018 subsequently vide letter dated 27-11-2018.
- Whereas, the said institute failed to provide any documents related to the conditions laid down in the Regulations of the Board.
- Whereas, Grameen Mukt Vidhyalayi Shiksha Sansthan,, Delhi- 110032 is not established under its own act through any State/UT Legislation or through Executive Order nor under the auspices of any recognized /Equivalent State Board of School Education as per Project proposal designed and developed in collaboration with the National Institute of Open Schooling (NIOS) & MHRD as required in the Board's Regulations.
- Whereas, Grameen Mukt Vidhyalayi Shiksha Sansthan,, is not authorized / permitted by any State Legislation or through Executive Orders to conduct public examinations i.e Secondary/Matriculation examinations or Senior Secondary examinations or its equivalent examinations and to issue the certificates thereof which is mandatory as per the provisions in rule 17.5,17.6 & 17.7 of the Regulations of the Board.
- 7 Whereas, Grameen Mukt Vidhyalayi Shiksha Sansthan, is not recognized by its own State's Education Board i.e Central Board of Secondary Education Delhi (CBSE), National Institute of Open Schooling (NIOS) and by any other State

Continued..... PTO.

Education Board which are established under their own act in the country i.e Punjab School Education Board, Haryana School Education Board, J&K Education Board etc.

- 8 Whereas, it has also come to the notice of the Board that the matter of genuineness of Grameen Mukt Vidhyalayi Shiksha Sansthan, M-151, Keshav Chowk, Panchshil Gardan, Naveen Shahdra, Delhi- 110032 has been challenged by the parallel Institute having similar name i.e Rural Institute of Open Schooling ("Grameen Mukt Vidhyalayi Shiksha Sansthan," in Hindi) C-12 Ground Floor, Aruna Park, Near Vikas Marg, Laxmi Nagar, Delhi-110092 and is under-consideration before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh . It is also made clear that Rural institute of open schooling is not recognized by the Board.
- Whereas, Grameen Mukt Vidhyalayi Shiksha Sansthan, M-151 , Keshav Chowk, 9 Panchshil Gardan, Naveen Shahdra, Delhi- 110032 is not eligible for grant of equivalence in the light of relevant Regulations of the Board

Therefore, in view of the failure to comply with the Regulations of the Board as per the provisions of the rule 17.5 ,17.6 & 17.7 as referred above and in the larger public interest, the Chairman, in exercise of the powers vested in him under sub clause (3) of Clause 19 of The Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968 is pleased to withdraw the equivalence granted by the Board in favour of Grameen Mukt Vidhyalayi Shiksha Sansthan, M-151, Keshav Chowk, Panchshil Gardan, Naveen Shahdra, Delhi- 110032. Hence, Notification No. Hi. Shi. Bo.(3)Sa /276/17 / 8171-8220 dated 01-12-2017 stands withdrawn by the Board in the larger public interest.

> (Dr. Harish Gajju, HAS) Secretary

Endorsement No: As above. Dated: 5-2-2019 Copy to the following for information & perusal please:

- Principal Secretary, (Edu) H.P. Government. Shimla-2.
- 2. Director, (Higher) Education, H.P. Government. Shimla-1
- 3. Director, (Elementary) Education, H.P. Government. Shimla-1
- 4. Controller , Printing & Stationary Deptt. to the Govt. of HP to publish in E-Gazette.
- General Secretary , COBSE 6th Bigjo's Tower.A-8 Netaji Subhash Palace, Ring Road, Delhi-11034.
- 6. SPS /PS to Chairman and Secretary, H.P. Board of School Education.
- Additional Secretary, Deputy Secretaries , H.P. Board of School Education. 7.
- 8. Deputy Directors of Education of All districts in HP.
- All the Assistant Secretary/Section Officers/ District Managers/ Incharge Sale Book Depots, HPBoSE.
- 10. Public Relation Officer, H.P. Board of School Education for public release.
- 11. Incharge, Data Centre to publish the notification and update or equivalence list accordingly on Boards website
- 12. Chairman, Grameen Mukt Vidhyalayi Shiksha Sansthan, M-151, Keshav Chowk, Panchshil Gardan, Naveen Shahdra, Delhi- 110032. for information with directions to restrain from admitting the students immediately.

13. Guard File.

(Dr.Harish Ga)ju, HAS) Secretary

माप्दंडों के अनुरूप योग्य नहीं पाया गया है। जिसके कारण एक दिसंबर 2017 को समक्षता के सुबंध में आधसूचना रद्द कर दी है। धर्मशाला। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की समकक्षता रद्द कर दी है। बोर्ड के सचिव हरीश गज्जू ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के निधारित कि संस्थान का पाठ्यक्रम हिमाचल मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के बारे में यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा सिमिम की कार्रवाई के बाद ग्रामीण कहा कि राज्य स्तरीय समकक्षता समकक्षता रद्द शिक्षा संस्थान का ग्रामीण मुक्त विद्यालयी

जाए। उनकी ड्यूटी सुबह नौ से पांच बजे तक हो और उन्हें तीन साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर नियमित किया जलवाहकों ने सरकारी कार्यालयों में यह अवधि पूर्ण कर ली है लेकिन, अभी भी यह लोग सरकार से आस लगाए बैठे हैं। अभी तक जलवाहकों को नियमित नहीं किया गया है। जलवाहकों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें दैनिक भत्ते का लाभ दिया ज्ञान चंदं, बिहारी लाल, रेखा, सुलेखा, रीता, मनोरमा आदि ने कहा कि पिछली सरकार के समय भी कहा जलवाहकों को सरकार अभी तक नियमित नहीं कर पाई है। जलवाहक किशोरी लॉल, बिमला देवी, कमन्ता, नियमित होंगे। वहीं, अब कई कार्यरत कर्मचारी तीन या पांच वर्ष मे गया था कि हर सरकारी कार्यालय में नादौन (हमीरपुर)। प्रदेशभर में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत करने की उठाई मांग जलवाहकों ने जल्द नियमित

के परिजनों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। जब वह उसे जानकारी के अनुसार नाबालिग् छात्रा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीम का गठन कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी जल्द ही की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी की धरपुकड़ के लिए नाबालिंग सात माह की गर्भवती है। पुलिस ने नाबालिंग छात्रा के परिजनों रामपुर बुशहर। पुलिस थाना रामपुर में पोक्सो एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। जिसमें एक निकली नाबालिंग छात्रा-सात माह की गर्भवती इत होने ने

> कया शुभारभ में छह दिन

बल, थाना प्रभारी बंगाणा तथ चंद, गौरव चौधरी, रमन गर सहित अन्य उपस्थित रहे। नी कुलविंद्र सिंह, अंब मनोज ह दिन खुलेगी। उन्होंने या कि कैंटीन सुबह 10 से बाटर अशोक वर्मा, डीएसपी अवसर पर डीएसपी में सामान सस्ता रहेगा। ने बताया कि कैटीन हफ्ते र 3 से 6 बजे खुला रहेगा। (2 बजे तक, इसके बाद लाभ मिलेगा। बाजारों से जवानों के लिए कैंटीन से देवाकर शर्मा ने कहा कि न रहेगी खुली

ददारी की। भडाइज 🛭 । डीआईजी ने सेंट्रल पुलिस

> 0 4

अमर उजालां ब्यूरो गेहूं को मिला पर्याप्त पानी, तापमान में गिरावट सुबह के समय जिले में रुक रुक कर हुई बारिश

कृषि कारोबार में नई ऊर्जा का से प्यासे खेतों को पानी मिलने से इससे गुलजार हो गया है। कई दिनो महसूस की गई वहीं कृषि कारोबार ऊना। जिले में बुधवार सुबह रक-रुक हुई बारिश से जहां काफी ठंड सचार हुआ है।

छाई चिंता कुछ हद तक छंट गई है। इसके चलते कृषि कारोबार पर निर्भर हजारों किसानों के माथे पर काफी मुरझाने लग गई थी। ऊना में धूप का प्रकोप सह रही फसले रात में भीषण सर्दी और दिन में कड़ी होने की उम्मीद है। बारिश न होने से बुधवार सुबह को शुरू हुई हल्की हालांकि किसानों अभी और बारिश

> होने के कारण फसलों पर काफ़ जरनैल सिंह ने बताया कि बारिश न मंगल सिंह, रामपाल, राम सिंह और कर होती रही। किसानों तिलक राज बारिश देर दोपहर तक रुक-रुक बुरा प्रभाव पड़ रहा था।

से काफी राहत महसूस होगी। को जमकर हुई हल्की बारिश विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बारिश पोषणदायक है। उन्होंने बताया कि बारश फसला किसानों का कहना है कि इस समय चलते काफी राहत महसूस हुई है। लग गई थी। लेकिन बुधवार सुबह कई खेतों में फसलें सूखने भी 8 लिए बेहद

भार उजाला ब्यूरो मुख्य अध्यापिका के कार्यालय में भी तोड़-फोड़, पुलिस ने शुरू की जांच हारसा स्कल क ताड

की वारदात को अंजाम दिया है। कंप्यूटर लैंब के ताले तोड़कर चोरी गठशाला केंद्र हारसा में शातिरों ने नोल (ऊना)। राजकीय प्राथमिक अध्यापक कार्यालय

साफ-सफाई के लिए ताले खोलने लगी, तो मुख्याध्यापिका के दफ्तर एवं कंप्यूटर लेंब के ताले टूटे पाए। जिससे उसके होण उन कार्यालय में शिकायत पुलिस चौकी जोल में दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कर पाए। वारदात का पता तब चला जब स्कूल में कार्यरत चपरासी हालांकि चोर कोई सामान चोरी नहीं खोलकर सभी कागजात बाहर फेंक दिए और लॉकर को भी तोड़ डाला। स्कूल पहुंच कर देखा, तो ताले टूटे हुए थे। उन्होंने घटना बारे लिखित स्कूल में कार्यरत अध्यापकों को दी गई। मुख्याध्यापिका लता कुमारी ने आनन-फानन स्कूल पहुंचकर छानबीन शुरू कर ्रमुख्य_, अध्यापिका के रखी अलमारी 4 इसकी खबर

चोरी की वारदात की जांच करती पुलिस। असर उजाला

कुछ खून के छींटे एवं एक छोटा सा शॉल का टुकड़ा पाया गया है। दी है। जांच में पुलिस ने एक ताले में खून के धब्बे एवं बाहर बरामदे में

चिकित्सकों ने उसकी जांच की तो पता चला कि नाबालिग सान माह के

इलाज के लिए शिमला ले गए तो

विभाग

जूठी नौनिह वहाँ खाँद

वहीं, बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार मामले की आगामी छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी अशोक